

कार्मिक अनुभाग-2

20 जनवरी, 1992 ई.

अधिसूचना

सं. 24/37/91-कार्मिक-2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) की धारा, द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियमावली, 1991 कहीं जायेगी।

संक्षिप्त नाम (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष उपाध्यक्ष और स का वेतन, भत्ते और और प्रारम्भ सेवा की शर्त) नियमावली, 1991 कहीं जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने को दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें (2) जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो. इस नियमावली में-"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 से है।

वेतन *3 अध्यक्ष नब्बे हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा उपाध्यक्ष अस्सी हजार रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करेगा और सदस्य वेतनमान रुपया 67000 में वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79000 वेतन प्राप्त करेगा:

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो. का वेतन ऐसी सेवा निवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तु में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो पेशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेशन का भाग यदि कोई हो. भी सम्मिलित है. कम कर दिया जायेगा।

महंगाई भत्ता 4- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह "का" के अधिकारियों को अनुमन्य दरों और नगर पर अपने वेतन के अनुरूप महागाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करेंगे:

प्रतिकर भत्ता

छुट्टी

5- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त होने पर कोई व्यक्ति निम्न प्रकार की छुट्टियों का हकदार होगा

(एक) सेवा के प्रत्येक पूर्ण फलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिये बीस दिन की दर पर उपार्जित अवकाश

(दो) सेवा प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में तीस दिन की दर पर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध वेतन छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन, उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुमन्य छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगा।

(तीन) सदस्य को विवेक पर अर्द्ध वेतन पर छुट्टी को पूर्ण वेतन की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, वशर्तें यह चिकित्सा आधार पर लिया गया हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित हो।

चार किसी एक पदावधि में वेतन और भर्तों के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक की असाधारण छुट्टी।

	(2) अधिकरण में उसकी कार्यकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने का हकदार होगा परंतु इस नियम के अधीन नकदीकरण कराई गई छुट्टी की मात्रा और कोई नकदीकरण छुट्टी, जिसके लिए वह अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व हकदार था. भी है, मिलाकर 300 दिन से अधिक नहीं होगी।
छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी पेंशन	6-उपाध्यक्ष और सदस्य को छुट्टी स्वीकृत करने के लिये अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे और अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिये राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होंगे। 7-(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा परन्तु ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी - (एक) यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम की सेवा की हो. या (दो) यदि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटा दिया गया हो। (2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की सगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिये 14532 (चौदह हजार पाँच सौ बत्तीस रुपये मात्र) प्रति वर्ष की दर से की जायेगी। यदि कुल पेंशन अध्यक्ष, किसी उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा अधिकरण में नियुक्ति से पूर्व की गई सेवा के लिए आहरित कुल पेंशन (जिसके अन्तर्गत सरांशीकृत पनराशि भी है) के अतिरिक्त होगी: परन्तु जहां यथास्थिति अध्यक्ष, किसी उपाध्यक्ष या सदस्य को वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 (ड) के परन्तुक या किसी अन्य नियम या विनियम के अधीन पेंशन के प्रयोजपार्थ अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया गया हो, वहां ऐसी अतिरिक्त सेवा की अवधि के दौरान अधिकरण में की गई उसकी सेवा की गणना इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए नहीं की जायेगी: परन्तु यह और की इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल पनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन का सरांशीकृत भाग भी है) यदि कोई हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत सरकार के सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 8-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अंशदान करने के लिये हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प करने की दशा में जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के उपबन्धो द्वारा शासित होंगे परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या. तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस पर अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे।
भविष्य निधि	
यात्रा भत्ता	9-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य जब दौरे पर या स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा या अधिकरण में उसके कार्यावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर को जाने में की गयी यात्रा भी है), पर उन्हीं मापक्रमों और उन्हीं दरों पर, जैसा कि हाईकोर्ट जजेज (ट्रैवलिंग एलाउन्सेज) रूल्स, 1956 में निहित है या जैसा भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य हो, इनमें जो भी उच्च हो, यात्रा भत्ता दैनिक मत्ता वैयक्तिक सामानों के परिवहन और अन्य तत्सदृश्य मामलों के हकदार होंगे।
अवकाश यात्रा सुविधा	10-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उन्हीं दरों पर और उन्हीं मापक्रमों पर और उन्हीं शर्तों पर जो रुपये 67000- वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से 79000 तक या इससे अधिक के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी पर प्रयोज्य हो, अवकाश यात्रा सुविधा के हकदार होंगे।
आवास	11-(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति

के लिये राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य प्रकार के किराया मुक्त सरकारी आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्य को उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवास की व्यवस्था न की जाय या वह स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता है तो उसे उसी दर पर मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जायेगा जैसा नियम 3 के अधीन अनुमन्य वेतन को आधार पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

(3) जहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अनुज्ञेय अवधि के उपरान्त किसी सरकारी आवास का अध्यासन करता है. वहाँ यह प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार यथास्थिति लाइसेन्स फीस या शास्तिक किराये का देनदार होगा और उसे बेदखल किया जा सकेगा।

वाहन-सुविधा

12-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस निमित्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजनों की यात्राओं के लिये स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

चिकित्सा उपचार की सुविधायें

13-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के उसी प्रकार हकदार होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल अटेंडेन्स रूल्स 1946 और समय-समय पर इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों में यथा-उपबन्धित के अनुसार होंगे।

अवशिष्ट उपबन्ध 14-

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की सेवा की शर्तों का, जिनके लिये इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के किसी सचिव पर तत्समय प्रयोज्य नियमों और आदेशों द्वारा अवधारण किया जायेगा।

अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, के लिए विशेष उपबन्ध

14-क- नियम 5 से 14 में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, समय-समय पर यथा संशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954, समय-समय पर यथा संशोधित उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 और हाईकोर्ट जजेज (ट्रैवलिंग एलाउन्सेज) रूल्स 1956 के उपबन्धों और ऐसे सरकारी आदेशों द्वारा जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर प्रयोज्य है शासित होंगे, और ऐसे समस्त विशेषाधिकारों, सुख-सुविधाओं और परिलब्धियों के जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुमन्य है, हकदार होंगे।

नियमों को शिथिल करने की शक्ति

16 जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली के किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है. वहाँ वह आदेश द्वारा ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण तरीके से कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकती है।

आज्ञा से
ओ.पी. आर्य